

27.01.2024

27.01.2024 पत्रावली पेशा वकील प्रॉफ़ि सुप्रियता रायः

शु- राजश्व अलिनिशम, 1956 की धारा 136 के तहत विधिकीय आ admitted एग्रेस सही करने का जवाबान है। मुताबिक रिपोर्ट परवारी ईतकाल दुर्ग के समय से जमाबंदी में मुश्ताररहमान, जावररहमान, शंवररहमान नाम चल रहे हैं। अतः राजश्व रिकॉर्ड में कोई विधिकीय आ admitted एग्रेस होना नहीं पाया जाता है। आ. पत्र शही कतर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कसल शुमार होकर दारिखत रफतार हो।

आ जिला व सेक्टर
श्री। राजश्वालय